पत्र सं0–7/स्थापना व्यय–आवंटन–04/2019– 07(7)/स्वा0/

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
अधीक्षक, जिला जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राँची,
अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, राँची।
(संलग्ल विवरणी के अनुसार)।

राँची/दिनांकः 13/04/2021

विषयः स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी 110–अस्पताल और औषधालय 13–सदर अस्पताल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के व्यय हेतु कुलः ₹ 89,10,65,500/– (नवासी करोड़ दस लाख पैसंठ हजार पांच सौ) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन Online विवरणी के अनुसार अतिरिक्त आवंटन संसूचित किया जाता हैः–

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या–20/2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी	110–अस्पताल और औषधालय–13–सदर अस्पताल	₹ 89,10,65,500/– (नवासी करोड़ दस लाख पैसंठ हजार पांच सौ)

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 के कुल बजट उपबंध ₹ 1,19,45,99,000/– (एक अरब उन्नीस करोड़ पैंतालीस लाख निन्यानवे हजार) के अन्तर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98, 1800(वि) दिनांक 15.07.2003 एवं 1681(वि0) दिनांक 10.06.2015 के अनुसार होगी।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार) के लिये होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

5. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगें। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगें कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वंय सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

6. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग–अलग रखेंगे।

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

कृ0 पृ0 उ0

8. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिकाई व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

10. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्त्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय। **बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के आदेश संख्या 1914/वि0 दिनांक 01.10.2020 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**

12. वित्त विभागीय पत्र संख्या– 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित विभाग के पत्र संख्या– 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

13. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

14. सभी सिविल सर्जन के द्वारा सभी सदर अस्पतालों/संक्रामक रोग अस्पताल, रांची/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, रांची से संबंधित उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के संबंध में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के COBT – Form 3A में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा हैं। अतः COBT – Form 3A के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो Form 3A में सूचना विभाग को सूचनाएँ उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

15. दवा क्रय हेतु निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

I. वैसे दवा का क्रय किया जाएगा जिसका दर निर्धारण (Rate Contract) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया है एवं दर निर्धारण की Validity Period समाप्त नहीं हुआ है।

II. वैसे दवा जिसका दर निर्धारण निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की सूची में नहीं हो अथवा दर निर्धारण अवधि समाप्त हो चुका हो। ऐसे दवाओं का क्रय Priority Basis पर किया जाएगा जिसकी संबंधित केन्द्र पर अत्याधिक आवश्यकता हो।

III. EDL के अनुसार सभी स्तर के अस्पतालों/ केन्द्रों के लिए दवाओं का नाम चिन्हित है। अनावश्यक रूप से अधिक दवाओं का क्रय संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा अन्यथा इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। दवाओं के तिथिवाद होने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

IV. आवश्यक एवं मौसमी बीमारी की दवाओं को प्राथमिकता दी जाय। आवश्यकता आधारित अगले चार माह तक ही दवा की खरीद की जाय।

V. दवाओं के क्रय में साँप काटने तथा कुत्ता काटने के कारण दी जाने वाली दवा की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

12/04/2021

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव
कृ0 पृ0 उ0

VI. क्रय किए गऐ दवाओं का Shelf Life कम से कम उसकी पूरी अवधि का 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

VII. अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की सूची जन साधारण के अवलोकनार्थ अस्पताल के सूचना पट्ट के निकट अथवा किसी अन्य उचित स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

VIII. सिविल सर्जन जिला के एक वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे जो जिले के सभी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता का लगातार अनुश्रवण करेंगे एवं नियमित रूप से इसका प्रतिवेदन सिविल सर्जन को देंगे। सिविल सर्जन दवा की उपलब्धता को मासिक रूप से निदेशालय के उनके जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

IX. सभी सिविल सर्जन दवाओं की उपलब्धता का आकलन करेंगे, जिन दवाओं की अगले तीन–चार माह में आवश्यकता हो, सिर्फ उन्ही दवाओं की मात्रा के अनुरूप निविदा निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्रय कर सकेंगे। यदि दवा क्रय करने की आवश्यकता नहीं हो तो शीघ्र राशि प्रत्यर्पित करेंगे न कि मार्च 2022 में प्रत्यर्पण की कार्रवाई करेंगे।

16. इस राशि से दवाओं क्रय के उपरान्त व्यय विवरणी विभाग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

17. स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक 1644 (25) दिनांक 01.09.2017 के द्वारा निदेश है कि प्रेषित 60 दवाओं की सूची (Fast Moving Drugs) जिनकी उपलब्धता 25 प्रतिशत बफर स्टॉक के साथ अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाया रखना आवश्यक है, में से वैसी दवाएँ जो वर्तमान में रांची स्थित निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध है तथा क्रय एवं आपूर्ति की प्रक्रिया में है, को छोड़कर शेष दवाओं के क्रय हेतु सभी जिलों को आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध दवाओं में से यदि कोई दवा समाप्त हो जाये तो वैसी परिस्थिति में निगम की सहमति से उक्त दवा का क्रय जिलों/संस्थानों द्वारा प्राप्त आवंटन से किया जाए।

18. दवा क्रय के संबंध में विभागीय पत्रांक 04 (7) दिनांक 11.01.2019 के आलोक में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, रांची द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली/करायी जा रही दवाओं को छोड़कर अन्य दवाओं का क्रय वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए किया जाए ताकि दवाओं के क्रय में किसी भी प्रकार के दोहरीकरण की संभावना न हो। यदि सूची से कोई दवा खरीद करनी हैं, तो संबंधित अधीक्षक द्वारा इस विषय पर लिखित औचित्य/आवश्यकता/आकस्मिकता को अंकित किया जाए।

19. दवा मद में आवंटित राशि की निकासी दवा क्रय करने हेतु E-Tender/ GeM के तहत सारी विहित प्रक्रियाएँ पूरी करने के पश्चात करना सुनिश्चित किया जाए।

20. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

i) संबंधित सिविल सर्जन/अधीक्षक प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर प्रत्येक माह का विपत्र माह की 25 वीं तारीख तक वेतन विपत्र कोषागार में भेजना सुनिश्चित करेंगे। वेतनों की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि Ghost Employee/अवैध रूप से नियुक्त कर्मी के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

iii) वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

20. दवा का क्रय नियमानुसार करते हुए क्रय किये गये दवाओं की प्रविष्टि आवश्यक रूप से स्टॉक पंजी में किया जाय।

21. प्रत्येक माह स्वंय सिविल सर्जन द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन किया जाय। विभाग से दवा भण्डार मद में आवंटन की मांग करने से पूर्व सिविल सर्जन द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र Invoice की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति के साथ उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

(कमल किशोर सोन)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 7/स्थापना व्यय–आवंटन–04/2019 07(7)9/स्वा0,राँची,दिनांक– 13/04/2021
प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 7/स्थापना व्यय–आवंटन–04/2019 07(7)9/स्वा0,राँची,दिनांक– 13/04/2021
प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त,/संबंधित उपायुक्त,/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 7/स्थापना व्यय–आवंटन–04/2019 07(7)9 /स्वा0,राँची,दिनांक– 13/04/2021
प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100111013000101	863762000
2	कार्यालय व्यय	20S22100111013000315	400000
3	आपूर्ति एवं सामग्री	20S22100111013000323	8400000
4	वर्दी	20S22100111013000334	803500
5	चिकित्सकीय आपूर्ति	20S22100111013000336	17700000
	कुल आवंटित राशि		**891065500**

कुलः ₹ 89,10,65,500/– (नवासी करोड़ दस लाख पैसंठ हजार पांच सौ)।

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

KUBER ™ Fund Management System (FMS)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मांग सं० - 20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 13 - सदर अस्पताल

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100111013000101 वेतन	20S22100111013000315 कार्यालय व्यय	20S22100111013000323 आपूर्ति एवं सामग्री	20S22100111013000334 वर्दी	20S22100111013000336 चिकित्सकीय आपूर्ति	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dumka	DMKMED246	Dr.Ravindra Kumar	Superintendent	□3,53,99,000.00 (4983)	□15,000.00 (5196)	□5,00,000.00 (5555)	□47,500.00 (5621)	□10,00,000.00 (6234)	□3,69,61,500.00
2	Jamtara	JMTMED026	Asha Ekka	C .S. Cum C.M.O.Jamtara	□3,16,83,000.00 (4984)	□15,000.00 (5200)	□2,00,000.00 (5556)	□15,000.00 (5624)	□5,00,000.00 (6236)	□3,24,13,000.00
3	Pakur	PKRMED010	Dr Ramdev Paswan	Civil Surgeon Pakur	□2,69,44,000.00 (4986)	□15,000.00 (5201)	□2,00,000.00 (5558)	□42,500.00 (5628)	□5,00,000.00 (6238)	□2,77,01,500.00
4	Sahebganj	SBJMED002	Dr.Arvind Kumar	Civil Surgeon Sadar Hospital S	□2,81,17,000.00 (4988)	□15,000.00 (5203)	□2,00,000.00 (5559)	□30,000.00 (5631)	□5,00,000.00 (6240)	□2,88,62,000.00
5	Singhbhum West	SGHMED033	Dr. Om Prakash Gupta	C.S.Cum C.M.O. Singh.West.Cbsa	□3,78,56,000.00 (4991)	□15,000.00 (5204)	□5,00,000.00 (5561)	□25,000.00 (5633)	□10,00,000.00 (6241)	□3,93,96,000.00
6	Jamshedpur	JSRMED343	Arvind Kumar Lal	Sadar Hospital Khasmahal Jsr.	□2,78,72,000.00 (4994)	□15,000.00 (5208)	□5,00,000.00 (5564)	□10,000.00 (5635)	□10,00,000.00 (6243)	□2,93,97,000.00
7	Saraikela	SKLMED073	Dr.Himanshu Bhushan Barwar	C.S.Cum Chief Medical Off.Sar	□2,75,75,000.00 (4996)	□15,000.00 (5213)	□2,00,000.00 (5565)	□12,500.00 (5637)	□5,00,000.00 (6244)	□2,83,02,500.00
8	Ranchi	RNCMED174	Vijay Behari Prasad	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	□11,43,01,000.00 (4997)	□31,000.00 (5216)	□8,00,000.00 (5567)	□85,000.00 (5639)	□20,00,000.00 (6246)	□11,72,17,000.00
9	Khunti	RNCMEDK13	Dr. Prabhat Kumar	Civil Surgeon Cum Cmo Khunti	□2,43,42,000.00 (4999)	□15,000.00 (5223)	□2,00,000.00 (5568)	□32,500.00 (5642)	□5,00,000.00 (6247)	□2,50,89,500.00
10	Gumla	GMLMED013	Dr. Vijaya Bhengra	Civil Surgeon S/H Gumla	□3,37,22,000.00 (5001)	□15,000.00 (5239)	□2,00,000.00 (5570)	□25,000.00 (5674)	□5,00,000.00 (6249)	□3,44,62,000.00
11	Simdega	SDGFMW002	Dr. Pramod Kumar Sinha	Civil Surgeon Sadar Hospital S	□3,95,30,000.00 (5004)	□15,000.00 (5244)	□2,00,000.00 (5572)	□40,000.00 (5676)	□5,00,000.00 (6250)	□4,02,85,000.00
12	Lohardaga	LDGMED002	C.S.Cum-Cmo Lohardaga	C.S.Cum-Cmo Lohardaga	□3,60,28,000.00 (5007)	□15,000.00 (5251)	□2,00,000.00 (5573)	□38,500.00 (5687)	□5,00,000.00 (6252)	□3,67,81,500.00
13	Latehar	LTRMED040	Santosh Kumar Srivastav	C.S.Cum.C.M.O.Latehar	□2,27,83,000.00 (5008)	□15,000.00 (5265)	□2,00,000.00 (5578)	□27,500.00 (5692)	□5,00,000.00 (6253)	□2,35,25,500.00
14	Garhwa	GRHMED003	Dinesh Kumar	C.S..Garhwa	□2,97,61,000.00 (5012)	□15,000.00 (5275)	□2,00,000.00 (5581)	□12,500.00 (5694)	□5,00,000.00 (6254)	□3,04,88,500.00
15	Deoghar	DGRMEDD56	Dr. Jugal Kishore Choudhary	Civil Surgeon.Deoghar.	□4,01,89,000.00 (5133)	□15,000.00 (5276)	□5,00,000.00 (5586)	□40,000.00 (5695)	□10,00,000.00 (6255)	□4,17,44,000.00
16	Godda	GDDMED011	Shiv Pd.Mishra	Supd.Sadar Hospital Godda	□2,44,21,000.00 (5135)	□15,000.00 (5533)	□2,00,000.00 (5588)	□32,500.00 (5697)	□5,00,000.00 (6256)	□2,51,68,500.00
17	Hazaribagh	HZBMED213	Sanjay Kumar Sinha	Supdt. Hzb Med.College Hosp.Hb	□5,09,50,000.00 (5138)	□15,000.00 (5534)	□5,00,000.00 (5592)	□25,000.00 (5700)	□10,00,000.00 (6257)	□5,24,90,000.00
18	Ramgarh	RGHMED033	Dr Vinod Kumar	Deputy Suprientendent	□3,56,20,000.00 (5141)	□15,000.00 (5537)	□2,00,000.00 (5594)	□12,500.00 (5702)	□5,00,000.00 (6258)	□3,63,47,500.00
19	Chatra	CTRMED004	Dr Ranjan Sinha	C.S.-Cum-C.M.O,Chatra	□2,21,29,000.00 (5144)	□15,000.00 (5540)	□2,00,000.00 (5597)	□32,500.00 (5705)	□5,00,000.00 (6259)	□2,28,76,500.00
20	Dhanbad	DHNMED077	Dr. Arun Kumar Choudhary	Supd.Sadar Hospital,Dhanbad	□1,88,04,000.00 (5145)	□15,000.00 (5541)	□5,00,000.00 (5599)	□52,500.00 (5708)	□0.00	□1,93,71,500.00
21	Giridih	GRDMED018	Dr. Siddhartha Sanyal	Civil Surgeon Sadar Hosp.Grd	□4,35,64,000.00 (5148)	□15,000.00 (5544)	□5,00,000.00 (5601)	□62,500.00 (5710)	□10,00,000.00 (6260)	□4,51,41,500.00
22	Koderma	KODMEDA47	Dr Abhay Bhushan Prasad	C.S.Koderma	□2,61,68,000.00 (5150)	□15,000.00 (5545)	□5,00,000.00 (5604)	□40,000.00 (5711)	□10,00,000.00 (6261)	□2,77,23,000.00
23	Bokaro	BKRMED090	Dr. Ashok Kumar Pathak	C.S. Cum D.S. Bokaro	□2,01,38,000.00 (5154)	□15,000.00 (5547)	□5,00,000.00 (5611)	□10,000.00 (5715)	□10,00,000.00 (6262)	□2,16,63,000.00
24	Palamu	PLMMED169	Dr Kedar Nath Singh	Suptt.Plm.Medical.Coll.Hos.Plm	□4,77,87,000.00 (5156)	□15,000.00 (5549)	□5,00,000.00 (5615)	□45,000.00 (5719)	□10,00,000.00 (6263)	□4,93,47,000.00
25	Ranchi	RNCMED389	Vijay Behari Prasad	Civil Surgeon Ranchi	□72,30,000.00 (5160)	□12,000.00 (5550)	□0.00	□2,500.00 (5724)	□0.00	□72,44,500.00
26	Ranchi	RNCMED094	Vijay Behari Prasad	Supdt.I.D.H.Ranchi	□1,08,49,000.00 (5168)	□12,000.00 (5551)	□0.00	□5,000.00 (5728)	□2,00,000.00 (6264)	□1,10,66,000.00

कुल आवंटित राशि :- □89,10,65,500.00 (नवासी करोड दस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ) रूपये मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(KAMAL KISHORE SOAN)
SECRETARY.